न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 69/2016

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. सुखपाल पुत्र सोहनलाल निवासी 17, निचला गुवाड़ा गांव खोह उप तहसील टहला तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र रूपनारायण कौम ब्राह्मण निवासी ग्राम कलसाड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

.... प्रतिवादी (वादी)

2. लाली देवी पत्नि जगदीश प्रसाद ।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र महादेव प्रसाद जाति मीणा निवासीयान पालपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... रेस्पोडेन्टान

4. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर राज0 ।
5. तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर ।
6. नायब तहसीलदार टहला तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री अमरचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विनोद कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 3
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.12.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.2.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक बाद इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी को गत आराजी ख0 नं0 123 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ़ में दिनांक 26.5.1966 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई तथा वादी को उक्त भूमि का दखल तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी हल्का द्वारा किया जिस पर दखल के वक्त से वादी अपनी अलाटशुदा भूमि पर काबिज काश्त बहैसियत खातेदारी के चला आ रहा है जिसमें

19/12

वादी ने अपनी काश्त सरसों की बोई हुई है । इस भूमि के बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2046 से 2065 में नये नम्बर 895 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम खोह कायम कर राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज कर दी गई है जबकि यह भूमि भी चारागाह की नहीं रही ना ही मौके पर चारागाह है । वादी अपनी आवंटनशुदा आराजी पर काबिज है । ग्राम खोहदरीबा का बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में जब हुआ उस वक्त भी वादी अपनी आवंटनशुदा भूमि पर उस दखलशुदा भूमि पर काबिज था व काबिज है किन्तु बन्दोबस्त विभाग सम्वत् 2046 में वादी को गलत तरीके पर उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड ख़िलाफ मौका व वादी के तैयार कर वादी को हाल ख0 नं0 895 रकबा 3.90 है0 मिन 1.25 का खातेदार दर्ज न करके ख0 नं0 832 रकबा 1.82 है0 वाके ग्राम खोह दरीबा का गैर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि वादी अपनी आवंटनशुदा भूमि पर गत ख0 नं0 123 रकबा 5 बीघा जिसके हाल ख0 नं0 895 रकबा 3.90 है0 मिन रकबा 1.25 पर काबिज काश्तकार है । ऐसी स्थिति में वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है । दावे के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस हाल व गत मिलान क्षेत्रफल से यह बखूबी साबित है कि यह भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही ना ही मौके पर चारागाह है किन्तु बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादी नं0 1–2 के कर्मचारियान राजस्व के पटवारी कानूनगो अधिकारीगण वादी को गलत अतिक्रमण का नोटिस धारा 91 एल.आर.एक्ट का देकर बेदखल करना चाहते हैं । बन्दोबस्त विभाग को वादी की खातेदारी की भूमि को चारागाह में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है बल्कि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था । इसलिए वादी ने वाद डिक्री करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें पैरोकार सकरार ने जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद दिनांक 8.2.2016 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 8.2.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण बहस हेतु उपस्थित । रेस्पो0 अभिभाषक ने अपील की मैरिट एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 सी.पी.सी. पर बहस हेतु अनुरोध किया । अपीलांट अभिभाषक ने अपनी अपील बहस में पहले 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र और उसके बाद मैरिट पर बहस शुरू करने हेतु अनुरोध किया ।

अपील अपीलांट अभिभाषक ने कहा कि अपीलांट की ओर से अपील पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी., अपील मीमों के साथ पेश किया गया है । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि यह जमीन चारागाह की जमीन है तथा गांव के पशुओं को चरने के काम आने से यह सार्वजनिक हित का प्रकरण है और सार्वजनिक हित के प्रकरण होने के कारण अपीलांट ने 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील, निर्णय की जानकारी होने के साथ पेश की है । बहस में आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में राज्य सरकार जरिये जिलाधीश तथा तहसीलदार राजगढ़ और नायब तहसीलदार टहला को पक्षकार मुकदमा बनाया है । इसमें न तो ग्राम पंचायत को और न ही अपीलांट को पक्षकार मुकदमा

19/12

बनाया है । अतः 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ ये अपील पेश की जा रही है जो स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आगे कहा कि जमीन चारागाह होने से आवंटन योग्य नहीं थी । सिवायचक दर्शाकर गलत आवंटन करायी है । मैंने अपील पेश की है जिस पर रेस्पो0 को तलब किया गया और तहत अदालत की पत्रावली तलब की गयी है । इसलिए यह माना जायेगा कि अपीलांट की 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया ।

अपीलांट अभिभाषक ने कहा कि इस प्रकार की जमीन जो कि चारागाह है और उसमें सार्वजनिक हित है । यदि उसमें ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो ग्राम पंचायत या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसमें सार्वजनिक हित रखता है, अपीलीय कोर्ट में 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ अपील कर सकता है । इस संबंध में अपीलांट अभिभाषक ने निम्न कानूनी नजीरें पेश की हैं –

1. आर.आर.टी. 2014–15 पेज 659 – इसके अनुसार ग्राम पंचायत ने चारागाह भूमि के संबंध में 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की जो स्वीकार की ।

2. आर.आर.टी. 2017 पेज 415 व इसके अनुसार यदि केस मैरिट का है तो 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र की भी आवश्यकता नहीं है ।

3. आर.बी.जे. 2014 पेज 629 – यदि सार्वजनिक हित का प्रकरण है तो 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

4. आर.बी.जे. 2016 पेज 547 – एग्रीव्ड पार्टी केन फाईल डायरेक्टली एज अपील विदआउट फाईलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सैक्शन 96 सी.पी.सी. 1908

उक्त नजीरों के आधार पर प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

अपीलांट अभिभाषक ने आगे गुणावगुण पर भी प्रकरण में बहस करते हुए कहा कि विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 895 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ़ में स्थित है । वादी/रेस्पो0 मूलचन्द ने यह कहकर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया है कि यह जमीन उन्हें दिनांक 26.5.1966 को साबिक ख0 नं0 123 रकबा 5 बीघा के रूप में आवंटन हुई है । उक्त आवंटन सम्वत् 2020 के बन्दोबस्त में भी यह जमीन सिवायचक लगानी किस्म बारानी दोयम थी जिसे बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2046–65 में चारागाह दर्ज रेकार्ड कर दिया । इस चारागाह को वादी कलमज़न कराकर खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहता है । बहस में आगे कहा कि सरकार ने जवाब पेश करके वादी के तथ्यों को स्वीकार किया । तनकीयात कायम किये गये और दावा वादी डिक्री करा दिया । बहस में आगे कहा कि यह वादी मूलचन्द क्लीनहैण्ड से नहीं आया । इसने पहले भी इसी आराजी की खातेदारी बाबत दावा तहत अदालत में पेश किया जिसे खारिज कर दिया था । उस केस में भी सरकार ही पक्षकार थी । दिनांक 1.7.2010 को यह दावा खारिज हो गया जिसकी कोई अपील नहीं की गई तथा वह निर्णय आज तक यथावत है । अपीलांट अभिभाषक ने निर्णय पढ़ते हुए बताया कि यही खसरा नम्बरान है । अतः पुनः दावा नहीं लाया जा सकता । यह रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दावा दर्ज करके डिक्री किया गया जिसमें यह कही भी नहीं लिखा गया कि पूर्व में दावा कब निस्तारित हुआ था । दिनांक 1.7.2010 के निर्णय में पैरोकार सरकार ने दावा में जवाब

19/12

दावा पेश करके दावे के तथ्यों को मानने से इन्कार किया था तथा मैरिट पर बहस करके गलत गैर खातेदार दर्ज कराना जाहिर किया और न ही वादी का कब्जा काश्त माना । वादी का मौके पर काबिज नहीं होने तथा बाहर का होने का हवाला देते हुए वाद को खारिज कराने की इस्तदुआ की थी ।

बहस में आगे कहा कि वादी द्वारा जो वाद में दावा पेश किया है उसे सीधे ही तलबी में जारी किया गया । दर्ज ही नहीं किया गया । पत्रावली को जवाब में लगा दिया । उसमें पैरोकार सरकार ने वादी के पक्ष में इकबालदावा अर्थात सहमति व्यक्त की जबकि इस प्रकरण में आराजी बाबत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में होना बताया । विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । बाद में कब्जे काश्त की गलत रिपोर्ट बनायी है । दावा गलत डिक्री किया गया था । आगे कहा कि दावा डिक्री होते ही खातेदारी प्राप्त करने के बाद मूलचन्द ने यह जमीन श्रीमती लाली को बेचान कर दी जिसे अपील में हमने आदेश 1 नियम 10 से पक्षकार मुकदमा बनाया है । रेकार्ड का हवाला देते हुए कहा कि जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 एक्जी.8 में हाल खसरा नम्बर 895 रकबा 3.90 है0 चारागाह के रूप में दर्ज है । सम्वत् 2061–64 में मूलचन्द आवंटी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है और सम्वत् 2053–56 में भी रेकार्ड में चारागाह दर्ज रेकार्ड है ।

बहस में आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया है जिससे यह जमीन आवंटन हुई हो या इन्तकाल दर्ज हुआ हो । कब्जे की रिपोर्ट मैंने पेश की है जिसके अनुसार वादी का कब्जा नहीं है । वाद में जो कब्जा रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के आदेश से तैयार हुई है वह नई है तथा मिलीभगत से तैयार हुई है और उसके आधार पर कब्जा बताकर दावा डिक्री किया है । अतः मौके पर कब्जा नहीं होने, मिलीभगत करके नई कब्जा रिपोर्ट तैयार करने, प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.2.2016 के निरस्त करके विवादित आराजी को रेकार्ड में चारागाह दर्ज करने के आदेश जारी कराये । आवंटन होने के आदेश, कब्जा दखल देने के आदेश, रेकार्ड में गैर खातेदार किस आधार पर दर्ज हुए, इसका कोई रेकार्ड पेश नहीं करके पर वाद वादी काबिल खारिज के था । यह दावा रेस्ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है । अतः तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें । रेस्ज्यूडिकेटा लागू होने के संबंध में अपीलांट अभिभाषक द्वारा निम्न नजीरें पेश की हैं –

1. आर.बी.जे. 1998 पेज 435
2. आर.बी.जे. 2000 पेज 285,
3. आर.बी.जे. 2014 पेज 38,
4. आर.आर.टी. 2017 पेज 1154,
5. ए.आई.आर. 1990 पेज 334,
6. आर.आर.डी. 2006 पेज 91

उक्त नजीरों का हवाला देते हुए अपीलांट अभिभाषक ने कहा कि प्रकरण में चाहे अंतिम डिक्री जारी कर दी हो परन्तु समान पक्षकार वही आराजी है तो रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होगा और अपील को स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावें ।

19/12

मियाद अधिनियम की धारा 5 का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही उन्हें निर्णय की जानकारी हुई उनके द्धारा नियत समय में अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांट धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा तहत अदालत का निर्णय दिनांक 8.2.2016 को खारिज किया जोवं ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि अपीलाट अभिभाषक का यह कथन की वाद को दर्ज भी नहीं किया और सीधे ही तलबी के आदेश दे दिया, गलत है । दावा की पुश्त पर दावा दर्ज होने तथा उसके बाद तलबी की प्रकिया विधि अनुसार अपनायी गयी है । मूल दावे की पुश्त पर आदेशिका के अंकन का हवाला दिया तथा उसके बाद आर्डरशीट लिखना बताया ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने पहले दावे के बिन्दुओं का और प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय द्धारा मैरिट पर रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट से दावा सिद्ध होने पर डिक्री किया गया है, उसका हवाला दिया ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने अपने वादी के मूल वाद के तथ्यों को दोहराया तथा अदालत का ध्यान तथ्यों की ओर आकर्षित किया जिसके अनुसार दावा वादी रेकार्ड व साक्ष्य एवं कब्जा मौका रिपोर्ट से सही पाये जाने पर तथा बन्दोबस्त विभाग द्धारा खिलाफ कानून गैर खातेदारी की आराजी को चारागाह दर्ज करने, दावा सही डिक्री जारी करना अवगत कराया ।

बहस जवाब में रेस्पो0 अभिभाषक का पहले मैरिट पर बहस करते हुए कहना है कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 895 रकबा 3.90 है0 जिसे हाल बन्दोबस्त ने चारागाह रेकार्ड में दर्ज किया है वह साबिक ख0 नं0 नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार साबिक ख0 नं0 क्रमशः 117 मिन रकबा 0.06 बिस्वा, 120 मिन रकबा 6.12 बीघा, 122 रकबा 15.10 बीघा, 123 रकबा 5 बीघा, 119 रकबा 1 बीघा, 116, 118 मिन से बना है । इस प्रकार हाल ख0 नं0 895 में साबिक ख0 नं0 123 रकबा 5 बीघा सामिल है । बहस जवाब में आगे कहा कि साबिक ख0 नं0 123 रकबा 5 बीघा जो वक्त आवंटन सिवायचक बारानी दोयम था जिसे दिनांक 26.5.66 को वादी/रेस्पो0 मूलचन्द को आवंटित की गई । पत्रावली में आवंटन प्रार्थना पत्र एव आवंटन आदेश पेश होना अवगत कराया । आगे कहा कि दिनांक 27.5.66 को दखल देने के आदेश जारी किये गये और वादी/रेस्पो0 को आवंटन के बाद दखल व कब्जा दिया गया । जमाबन्दी सम्वत् 2026 में वादी/रेस्पो0 को खाता सं0 392 में साबिक ख0 नं0 123 रकबा 5 बीघा का गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड होना अवगत कराया जिसमें विवादित आराजी की किस्म बारानी दौयम होना बताया । आगे बहस जवाब में कहा कि एक्जी.7, एक्जी.2, एक्जी.3 से आवंटन, कब्जा देना व गेर खातेदारी दर्ज होना रेकार्ड से साबित है । एक्जी. 1 का हवाला देते हुए कहा कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश से मौके पर तहसीलदार व पटवारी हल्का द्धारा कब्जे की व रेकार्ड की शिविर में जांच की गई तो रेकार्ड व कब्जा वादी के पक्ष में पाया गया । जवाब बहस में यह भी कहा कि हाल ख0 नं0 832 रकबा 1.82 है0 एक्जी.4 पर मूलचन्द को गेर खातेदारी गलत दर्ज कर दिया जबकि मौका रिपोर्ट के अनुसार मूलचन्द का हाल खसरा नम्बर 832 पर कब्जा नहीं है । आगे कहा कि ख0 नं0 832 से मूलचन्द का कोई लेना देना नहीं है । यह हाल ख0 नं0 832 साबिक ख0

19/11/

नं0 133, 136, 138 से मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बना है और इन साबिक खसरा नम्बरान पर मूलचन्द न तो गेर खातेदार के रूप में दर्ज रहा और न ही उसका कब्जा काश्त रहा है तो बन्दोबस्त ने किस आधार पर मूलचन्द को ख0 नं0 895 क जगह 832 पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया और किस आधार पर ख0 नं0 895 को चारागाह दर्ज कर दिया ।

बहस जवाब में आगे कहा कि अपीलांट जिस आधार पर अपील लाये हैं कि यह चारागाह की जमीन है और चारागाह पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है । यह तर्क खिलाफ कानून, खिलाफ रेकार्ड व खिलाफ मौका है । न तो यह आराजी ख0 नं0 895 चारागाह है और न ही विवादित है और न ही इसका सार्वजनिक हित से संबंध है और न ही इस पर गांव के मवेशी घास खाते है बल्कि हकीकत यह है कि बन्दोबस्त विभाग ने गलत रूप से खातेदारी की जमीन को चारागाह दर्ज कर दिया जिसे उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था । बन्दोबस्त विभाग को खातेदारी के इन्द्राजों या पूर्ववर्ती इन्द्राजों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । उसें पूर्व के इन्द्राजों को ही दौहराना चाहिए । इस संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक ने कानूनी नजीरों का हवाला दिया । आगे कहा कि ख0 नं0 832 पर मूलचन्द को गेर खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है । ख0 नं0 895 पर ही बन्दोबस्त को गेर खातेदारी दर्ज करनी चाहिए । इस प्रकार कि बन्देाबस्त की गलती को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । यह जमीन किसी भी तरह से प्रतिबंधित जमीन नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यह जमीन बाधित नहीं है ।

बहस जवाब में आगे कहा कि सरकार ने या अपीलांट ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि बन्दोबस्त के खिलाफ इन्द्राजों से पूर्व यह आराजी सिवायचक से चारागाह कर दी हो । ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है कि उक्त आवंटन यह जमीन चारागाह हो । केवल बन्दोबस्त के द्वारा गलत रूप से चारागाह दर्ज करने से जमीन चारागाह नहीं हो जाती । यह भी कहा कि विवादित आराजी पर मूलचन्द का ही कब्जा काश्त रहा है । वह बंटाई पर लाली से काश्त करवाता था । बंटाई से दीगर व्यक्ति का कब्जा सिद्ध नहीं होता है । मौका पर्चा हाल डंडा कब्जा मेरा है । बहस जवाब में रेस्पो0 सं0 2 व 3 की ओर से यह भी कहा कि जब मूलचन्द के इन्तकाल से खातेदारी मिली तो उसने यह जमीन रेस्पो0 सं0 2 व 3 को कीमतन बेच दी है तथा रेकार्ड में रेस्पो0 सं0 2 व 3 की खातेदारी दर्ज हो गई है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8.2.2016 की पालना हो चुकी है । अतः यह जमीन इस आधार पर ही चलने योग्य नहीं है ।

धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर की गई बहस अपीलांट का जवाब देते हुए रेस्पो0 अभिभाषक ने कहा कि जितनी भी कानूनी नजीरे पेश की गई है वो इस प्रकरण में अपीलांट के लिए लागू ही नहीं होती है । आगे कहा कि यह जमीन सार्वजनिक हित की नहीं है । यह जमीन चारागाह नहीं है बल्कि सिवायचक जमीन 1966 में मूलचन्द को आवंटन हो गयी है । यह वक्त आवंटन से गैर खातेदार चल रहा है जिस पर मूलचन्द का कब्जा काश्त है । मौके पर हमेशा काश्त होती रही है । उपखण्ड अधिकारी के आदेश से मौका पर्चा बनाया गया है । मैं बंटाई पर काश्त कराता हूं । बन्दोबस्त ने गलत इन्द्राज करके गैर खातेदारी की आराजी को खिलाफ कानून चारागाह दर्ज रेकार्ड गलत कर दिया है । इस प्रकार के इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरणों में सरकार व तहसीलदार को ही पार्टी / पक्षकार बनाया जाता है और नायब तहसीलदार ने राजस्व रेकार्ड की जांच करके यह सही माना है

19/12

कि बन्दोबस्त ने गलती की है । इसी आधार पर मूलचन्द का दावा डिक्री सही व कानून सम्मत किया है । इतने दिनों की काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । इस आराजी से न तो ग्राम पंचायत का कोई सरोकार है और न ही अपीलांट का और न ही यह आराजी सार्वजनिक हित की है । अतः कोई कानूनी नजीर चस्पा नहीं होती है । प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. कानून के विपरीत, दुर्भावनावश व रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से पेश किया है जो काबिल खारिज के है । कानूनी नजीर ए.आई.आर. 1998 पेज 2276 व ए.आई.आर. 2003 पेज 1989 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह तय किया गया है कि 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ कौन अपील कर सकता है । अपीलांट कहीं भी एग्रीव्ड पर्सन नहीं है । अपील का कोई आधार नहीं है । अतः सी.पी.सी. 96 के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए मैरिट पर भी अपील खारिज योग्य है ।

आगे कहा कि पैरोकार सरकार का जवाब पेश है उसमें विवादित आराजी हाल ख0 नं0 895 के रकबा 1.25 है0 पर रेस्पो0 को साबिक ख0 नं0 123 के आधार पर आवंटी, गैर खातेदार माना है तथा दावा डिक्री में राजकीय हित नहीं है बल्कि एक खातेदार को न्याय प्राप्त होता है जिसे दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है जो सही किया है । अतः इस आधार पर भी अपील काबिल खारिज के है ।

लिमिटेशन के आधार पर भी जवाब बहस में कहा कि उन्होंने अपील सितम्बर 2016 में पेश की है जबकि इनको इसकी जानकारी 29.4.2016 को होना एवं स्वयं ने बताया है । अतः तीन माह की देरी का कोई कारण नहीं बताया है । माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने कोई कारण नहीं बताया और इनकी पी.आई.एल. खारिज हो गयी है । कोई आदेश नहीं है । डिले कन्डोन का उचित कारण दर्शित नहीं किया है । अपील खारिज की जावें । रेस्ज्यूडिकेटा के संबंध में कहना है कि दोनों पक्षकार अलग-अलग हैं तथा उपखण्ड अधिकारी के यहां मूल वाद में पैरोकार सरकार ने स्वयं जवाब दिया है । उन्हें ही कोई आपत्ति नहीं थी । अतः अपीलांट को तो यह विषय उठाने का अधिकार ही नहीं है । धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस पुनः दिया तो हमें वाद लानें का पता चला ।

अतः अपील अपीलांट मैरिट के आधार पर, लिमिटेशन के आधार पर और 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र एवं मूल्यहीन होने के कारण खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली के अवलोकन के साथ तहत न्यायालय कीं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया । तहत न्यायाल के निर्णयों क. अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । उभयपक्षों के अभिभाषकों द्वारा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।

अपील प्रकरण में प्रश्नगत विषय दो हैं जिनसे अपील का निर्धारण किया जाना है –

1. मैरिट पर प्रकरण की क्या स्थिति है ?
2. अपीलांट 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील पेश कर सकता है या नहीं ?

जहां तक मैरिट पर (गुणावगुण) प्रकरण का अवलोकन करने का विषय है । बहस में उभयपक्षों ने मैरिट पर बहस की है । अपीलांट जहां विवादित आराजी ख0 नं0 895 रकबा 3.90 है0 को चारागाह बता रहे हैं तथा तहत अदालत द्वारा गलत रूप से खातेदारी देने व

19/12

डिक्री करने को खिलाफ कानून बता रहे हैं । वही रेस्पो0/वादी साबिक ख0 नं0 123 मिन रकबा 5 बीघा आवंटन होना, कब्जा सरकार द्वारा देना तथा रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज होना रेकार्ड व साक्ष्य से बता रहे हैं। वहीं पर बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से व खिलाफ कानून गैर खातेदारी की आराजी को चारागाह रेकार्ड में दर्ज करना बता रहे हैं ।

इस संबंध में हमने तहत न्यायालय की पत्रावली एव निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एक्जी–2 के अनुसार रेस्पो0/वादी मूलचन्द शर्मा ने साबिक ख0 नं0 123, 124 सिवायचक लगानी में से आराजी आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है । दिनांक 10.5.1966 पटवारी रिपोर्ट के अनुसार जमीन सिवायचक लगानी है । इस आधार पर दिनांक 26.5.1966 को आवंटन कमेटी द्वारा साबिक ख0 नं0 123 रकबा 5 बीघा आवेदक मूलचन्द को आवंटित की । दिनांक 27.5.1966 को तहसीलदार द्वारा आई.एल.आर. टहला को एक्जी–3 से कब्जा साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2026 के खाता सं0 392 के अनुसार "मूलचन्द बेटा रूपनांरायण ब्राहमण साकिन कलसाड़ा अलोटी गैर खातेदार" एक्जी–7 के रूप में दर्ज रेकार्ड है । भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046–61 के अनुसार हाल ख0 नं0 895 रकबा 3.90 है0 साबिक ख0 कनं0 117 मिन रकबा 0.06, 120 मिन रकबा 6.12, 122 रकबा 15.10 बीघा, 123 रकबा 5.00 बीघा, 119, 116, 118 मिन से मिलकर बना है । हाल ख0 नं0 895 रकबा 3.90 है0 में साबिक ख0 नं0 123 रकबा 5.00 बीघा शामिल मिसल है और हाल ख0 नं0 895 रकबा 3.90 है0 को रेकार्ड में चारागाह बन्दोबस्त विभाग द्वारा दर्ज रेकार्ड कर दिया है । रेस्पो0/वादी मूलचन्द को हाल ख0 नं0 832 रकबा 1.82 है0 का गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड कर दिया । हाल ख0 नं0 832 साबिक ख0 नं0 138, 136 व 133 से मिलकर बना है । इस प्रकार हाल ख0 नं0 832 के साबिक ख0 नं0 138, 136, 133 पर मूलचन्द वादी की गैर खातेदारी नहीं रही है, परन्तु बन्दोबस्त ने गलत रूप से 832 की गैर खातेदारी दर्ज कर दी । मूलचन्द को 1.25 है0 ही आवंटित आराजी थी और 832 का रकबा 1.82 है0 है । इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग द्वारा ही गलत इन्द्राज किये गये हैं ।

पत्रावली में दिनांक 1.7.2015 की उप तहसीलदार टहला व पटवारी हल्का खोह द्वारा एक मौका रिपोर्ट तैयार की गई है । उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के आदेश पर राजस्व शिविर मुख्यालय खोह तैयार की है उसकी प्रमाणित प्रति भी पेश की है । उसके अनुसार उक्त इन्द्राजों की पुष्टि की है तथा वादी/रेस्पो0 मूलचन्द का ख0 नं0 895 पर ही कब्जा काश्त होना बताया है तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत इन्द्राजों का हवाला दिया है ।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 895 में सम्मिलित रकबा साबिक ख0 नं0 123 रकबा 5 बीघा चारागाह नहीं बल्कि सिवायचक ऐलोटी गैर खातेदारी मूलचन्द की है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा दोराने बन्दोबस्त ये गलत इन्द्राज किये गये हैं जिनका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं था । विभिन्न कानूनी नजीरों में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने ये तय कर दिया है कि बन्दोबस्त विभाग को अपने पूर्व इन्द्राजों को ही दोहराना चाहिए । बिना किसी सक्षम आदेश के किसी इन्द्राज को नहीं बदला जा सकता है । इस प्रकरण में भी वादी/रेस्पो0 के साथ यही हुआ है । बन्दोबस्त विभाग ने इन्द्राज गैर खातेदारी से चारागाह में बदले हैं जिन्हें उसे बदलने का अधिकार नहीं है । राजस्व न्यायालय का यह दायित्व है कि वह ऐसे प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इन्द्राजों को दुरूस्त करें । अधीनस्थ

19/12

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा जो निर्णय दिनांक 8.2.2016 को पारित किया है, वह विधिसम्मत है तथा गुणावगुण पर पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक रेस्ज्यडिकेटा का संबंध है । पहले के प्रकरण में अन्य पक्षकार भी थे जो भिन्न थे तथा आराजी ख0 नं0 832 के संबंध में निर्णय पारित किया है । रेस्ज्यूडिकेटा का प्रश्न अभी न्यायालय में उन्हीं पक्षकारों द्वारा उठाया जाता है । प्रतिवादीगण ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में इस प्रश्न पर कोई आपत्ति हीं नहीं की है । अतः यहां अपील में रेस्ज्यूडिकेटा के विषय को उठाने का अपीलांट को तभी अनुमति मिल सकती है जबकि प्रकरण उनसे संबंधित हो तथा उनके हितों के विरूद्ध हो । यहां विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट का कोई हित ही प्रमाणित नहीं होता है ।

जहां तक 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस तथा अपीलांट के तर्कों का प्रश्न है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट यह सिद्ध ही नहीं कर पाया है कि विवादित आराजी से किस प्रकार उनका हित जुड़ा हुआ है या किस प्रकार से सार्वजनिक हित की आराजी है । विवादित आराजी के संबंध में मैरिट पर गुणावगुण के आधार पर तथा कानूनी नजीरों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन करने पर यह पाया कि विवादित आराजी न तो चारागाह है और न ही ग्राम पंचायत की खातेदारी या कब्जे की आराजी है बल्कि वादी/रेस्पो0 को आवंटितशुदा व कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर उसे खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का पूर्ण हक था और बन्दोबस्त विभाग ने दौराने बन्दोबस्त गैर खातेदारी के इन्द्राजों को चारागाह में दर्ज कर दिया तथा वादी/रेस्पो0 को उस आराजी से भिन्न दूसरी आराजी पर गलत रूप से गेर खातेदार दर्ज कर दिया, खिलाफ कानून व खिलाफ मौाा था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनों के परिप्रेक्ष्य में सही दुरूस्त किया है ।

अपील अपीलांट मैरिट पर भी सारहीन होने तथा विवादित आराजी से अपीलांट का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं होने तथा न ही विवादित आराजी को ग्राम पंचायत से संबंध व सरोकार होने से तथा अपीलांट द्वारा पेश कानूनी नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होने, बन्दोबस्त विभाग के द्वारा गलत इन्द्राज गैर खातेदारी से चारागाह दर्ज करने के आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने सही दुरूस्त करने के आदेश से एवं न्यायालय के आदेश की पालना में रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने से अपील खारिज किये जाने योग्य है । इस प्रकार से प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन करने के उपरान्त अपीलांट की अपील 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के काबिल नहीं होने से काबिल खारिजी है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय व डिक्री दि0 8.2.2016 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.12.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर